COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

...य श्रीमान राजस्व ... म0प्र0 ...ालियर

प्र0क्र0 111/ निगरानी / भिण्ड / भू0रा0 / 2017 / 2232

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक
द्वारा आज दि. 17/7/17 को
प्रस्तुत
17.7.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1—देवेन्द्र पुत्र कामता प्रसाद

2—रमनकुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार

3—दीपक कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार

4—अमिता उर्फ अन्नू पत्नी अवधेश

5—आरती पुत्री जगत नारायण

6—सुधीरकुमार पुत्र कामता प्रसाद

7—अभिषेक पुत्र सुधीर ना0वा0 सरपरस्त पिता सुधीर पुत्र कामताप्रसाद

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड क0 5 मिहोना तह0 मिहोना जिला भिण्ड

17/7/17

..................आवेदक

बनाम

1—मयंक शर्मा पुत्र भानूप्रताप शर्मा

2—रश्मि उर्फ बेबी पत्नी भानूप्रताप निवासी टीकाराम वाली गली भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0

3—इमरती देवी पत्नी भवानी

4—लखनलाल पुत्र भवानी

5—रामजानकी पत्नी मुन्नालाल

6—राकेश कुमार पुत्र मुन्नालाल

7—राजेश कुमार पुत्र मुन्नालाल

8—शशीकान्त पुत्र मन्नालाल

9—आलोक पुत्र मुन्नालाल

10—गुड्डी पुत्री ...कनाथ

11—रमाकान्ती पुत्री रामबाबू

12—रामकुमकारी पत्नी औमप्रकाश
जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड क0 5 मिहोना तह0 मिहोना जिला भिण्ड

13—राजीव कुमार पुत्र महावीर प्रसाद निवासी हमीरपुरा हाल निवासी वीरेन्द्र नगर भिण्ड तह0 व जिला भिण्ड

............अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 24/06/2013

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय भिण्ड के प्र0क0 40/06—07 नि0 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है —

1— यह कि ग्राम मिहोना तह0 मिहोना जिला भिण्ड में स्थित कृषि भूमि खाता क0 622 किता 16 रकवा 5.120 , किता 1 रकवा 1.087 एवं 620 किता 1 रकवा 0.084 है0 भूमि संयुक्त खाते की भूमि होकर स्वामी व आधिपत्य धारी है।

2— यह कि अनावेदक क0 10 गुड्डी पुत्री लोकनाथ द्वारा तहसील मिहोना में धारा 178 म0प्र0भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत बटबारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र0क0 7/04—15 X अ/27 पर पंजीबद्व किया जाकर पारित आदेश दिनांक 24/10/05 द्वारा बटबारा स्वीकार किया गया।

3— यह कि अनावेदक क0 1, 2 व 3 की मां सुमनदेवी आवेदक क0 5 आरती एवं आवेदिका क0 6 व 7 की मां सीलू पत्नी सुधीर कुमार द्वारा तहसील के बटबारा आदेश के विरूद्व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0 13/05—06 अपील पर पंजीबद्व की जाकर पारित आदेश दिनांक 22/02/08 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसील का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसील को रिमाण्ड किया गया।

4— यह कि अनावेदक क0 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय भिण्ड के आदेश के विरूद्व श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्र0क0 40/06—07 निगरानी पर पंजीबद्व की जाकर पारित आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

५५६

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/2232

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-4-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	